तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 279/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/439) बअनवान किशनाराम बनाम ओमुदेवी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

किशनाराम व अन्य

बनाम

ओमुदेवी इत्यादि

उपस्थित

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से छः
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या सात

आदेश

दिनांक 18 फरवरी 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 93/2021 अनवान किशनाराम व अन्य बनाम ओमुदेवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 सितंबर 2022 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 23 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 623/2 रकबा 1.8122 हैक्टेयर अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि है एवं विभाजन का वाद पक्षकारान् के मध्य विचाराधीन है। विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते वाद की विषय-वस्तु के संबंध में कोई बदलाव किया जाना वाद बाहुल्य को आमन्त्रित करने जैसा है। स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा भी पूर्व में अंतरिम आदेश के जरिये यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे। रेस्पोडेंट्स द्वारा भूमि का माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन की स्वीकृति देने के आधार पर धारा 212 के प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्र को सारहीन होना नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट्स की सहमति को ही वाद का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता है, बल्कि वाद आज भी लंबित है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को ठीक से समझे बिना आदेश पारित कर दिया जो विधिविरुद्ध आदेश होने से अपास्त योग्य है। रेस्पोडेंट्स आलौच्य आदेश की आड़ में वादग्रस्त आराजी के हस्तांतरण तथा मौके की स्थिति को परिवर्तन करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 सितंबर 2022 को निरस्त किया जावे एवं माफिक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स की ओर से विचारण न्यायालय में विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने की अपनी सहमति प्रदान की जा चुकी है, इसलिए वादग्रस्त आराजीयात के खुर्द-बुर्द होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलांट्स द्वारा मामले का लंबा करने के लिए हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 279/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/439) बअनवान किशनाराम बनाम ओमुदेवी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय में विभाजन का मूल वाद विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को इस आधार पर खारिज किया है कि मूल वाद में रेस्पोडेंट्स की ओर से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की जा चुकी है। चूंकि विचारण न्यायालय में मूल वाद का अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है। मूल वाद के विचाराधीन रहते तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व पक्षकारान् द्वारा वादग्रस्त आराजी के मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो अपीलांट्स अपूरणीय क्षति होना संभाव्य है। लिहाजा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 अक्टूबर 2022 को अपास्त किया जाकर उभय पक्ष को ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 623/2 रकबा 1.8122 हैक्टेयर ग्राम लवेरा कलां के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। (ओमप्रकाश विश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	